



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 24, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10

संख्या 431/आठ-10-20-02 गठन-04

लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-431

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा-संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1164(1)/सैंतीस-2-76-डी0ए0-76, दिनांक 25 मार्च, 1977 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वाक्त अधिसूचना में, "मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र" में :-

(क) नगर पंचायत बरसाना एवं नगर पंचायत सौख (डूंगरा पट्टी) की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) क्रमांक-88 की प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल (हे०)
89	ऊँचा गाँव	मथुरा	688.20
90	पाली डुंगरा	गोवर्धन	387.20
91	सींगा पट्टी	गोवर्धन	519.98
92	लोरिया पट्टी	गोवर्धन	611.35
93	लालपुर	गोवर्धन	680.23

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 431/VIII-10-20-02Gathan-04, dated December 15, 2020 :

No. 431/VIII-10-20-02Gathan-04

Dated Lucknow, December 15, 2020

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1164(1)/XXXVII-2-76-D.A.-76, March 25, 1977, as amended from time to time, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the area of the Mathura-Vrindavan Development Area :-

(A) Area falling within the limits of the Nagar Panchayat Barsana and Nagar Panchayat Saunkh (Dungara Patti) Shall be included.

(B) *After* entry at serial number 88, the following entries shall columnwise be *inserted* namely :-

SCHEDULE

Sl.	Name of Village	Tahsil	Area (Hec.)
89	Unchagaon	Mathura	688.20
90	Pali Dungara	Govardhan	387.20
91	Singa Patti	Govardhan	519.98
92	Loriha Patti	Govardhan	611.35
93	Lalpur	Govardhan	680.23

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 518 राजपत्र -2020-(1082)-599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2020-(1083)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।